


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, चम्पावत।

नीलामी सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जज, चम्पावत के अधीन स्टाफ कार, वाहन सं० UK03 GA 0029 चेसिस सं० MASEGF41500-248287, इंजन सं० G13BBN-519405, पेट्रोल चलित जो चालू हालत में है, "जहाँ है जैसी है कि स्थिति में है" की सार्वजनिक नीलामी दिनांक: 31.07.2018 को सायं 3.00 बजे चम्पावत में स्थित न्याय भवन के प्रांगण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों के समक्ष की जायेगी। उक्त वाहन चम्पावत में न्यायालय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय प्रांगण में खड़ी है, उक्त वाहन की नीलामी प्रकाशन की तिथि से नीलामी होने की तिथि से पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस को अपराह्न 02:00 बजे से 5:00 बजे तक, कार्यालय में आकर सेन्ट्रल नाजिर चम्पावत की अनुमति से देखा जा सकता है, नीलामी वाहन की वर्तमान स्थिति में वाहन की अनुमनित न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 60,000/- (रिंसाठ हजार मात्र) निर्धारित की गई है। नीलामी से पूर्व बोलीदाताओं को वाहन के लिये ₹ 6,000/- (रिंछः हजार मात्र) जमानत की धनराशि के रूप में नजारात में जमा करना आवश्यक है। नीलामी के निर्धारित नियम व विस्तृत शर्त कार्यालय समय में कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।

दिनांक: 16.07.2018


(धर्मन्द्र कुमार सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत।
अध्यक्ष कमेटी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चम्पावत।

कार्यालय जिला जज, चम्पावत।


पत्रांक: 33 / बारह-5-2010, दिनांक: चम्पावत, जुलाई, 16, 2018

प्रतिलिपिक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 जिला सूचनाधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त सूचना की समुचित प्रकार व प्रसार माध्यमों से विस्तृत रूप में प्रचारित करने का वाद करे व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये अपने स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित करने का कट करे।
- 2 कार्यालय जिला जज, चम्पावत।
- 3 कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4 कार्यालय पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।
- 5 कार्यालय तहसीलदार, चम्पावत।
- 6 भारतीय स्टेट बैंक के नोटिस बोर्ड में वस्था।
- 7 पंजाब नेशनल बैंक के नोटिस बोर्ड में वस्था।
- 8 नैनीताल बैंक के नोटिस बोर्ड में वस्था।
- 9 उत्तराखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नोटिस में वस्था।
- 10 सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय।
- 11 नगर पंचायत के नोटिस बोर्ड पर वस्था।
- 12 जिला पंचायत लोहाघाट के नोटिस बोर्ड पर वस्था किये जाने हेतु।
- 13 जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर वस्था।
- 14 स्थानीय बाजार के सार्वजनिक स्थल पर वस्था हेतु।

एक प्रति सम्पादक उत्तर उजाला, चम्पावत को अगले अंक में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रकाशन दिल मय प्रकाशक के इस कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

आदेशानुसार


सेन्ट्रिय नाजिर

न्यायालय जिला जज, चम्पावत।
CENTRAL NAZIR
DISTRICT JUDGE
Champawan